

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

1318

दिनांक

20/06/2022

प्रार्थनी :-

1.नेनूदेवी पत्नि भूराराम, जाति जाट
निवासी दीनगढ़, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. भगाराम पुत्र कानाराम 2.हुकमाराम 3.मूलाराम
4.गेनाराम पि.पूनमाराम 5.डालूराम पुत्र जुगताराम
6.दौलाराम 7.गंगाराम पि.जैताराम 8.दानाराम पुत्र
नंदराम 9.पूराराम 10.चीमाराम 11.हेमाराम पि.
राजूराम 12.पूराराम 13.पदमाराम 14.गजाराम पि.
अलसाराम 15.हेमाराम 16.पदमाराम पि.बुधराराम
17.भेराराम पुत्र चूनाराम 18.लक्ष्मी पत्नि चूनाराम,
जाति जाट, निवासी दीनगढ़, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 11/2019

दिनांक : 20.06.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा दीनगढ़ के खेत खसरा सं. 845/98 रकबा 68.01 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थार्ई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/

1319 to 1322

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थनी नेनूदेवी
3. विप्रार्थीगण भगाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक
20/06/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन